

सम्पादकीय

पुलिस अत्याचार की अति-

इस मामले में भी पिछली सुनवाई के दौरान जस्टिस रमना ने पुलिस अधिकारियों में दिख रही इस प्रवृत्ति को रेखांकित किया था कि वे सत्तारूढ़ दल के नेताओं से करीबी तालुकात के लिए उनके अवैध आदेशों का पालन करते हुए सारी हाँद पर कर जाते हैं और फिर सत्ता बदलने पर नई सरकार का कोपभाजन बनते हैं। देश के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना ने अफसरशाही, खासकर पुलिस ऑफिसरों की ओर से किए जा रहे अत्याचारों पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इसे बर्दाशत नहीं किया जा सकता। मुख्य न्यायाधीश रमना ने यहां तक कह दिया कि वह राज्यों में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के नेतृत्व में ऐसी स्थायी समिति बनाने के हक में है, जो समय-समय पर आने वाली इन शिकायतों की जांच करे। चीफ जस्टिस रमना ने यह बात ऐसे समय कही है, जब यूपी के गोरखपुर में एक होटल पर छापे के दौरान कथित तौर पर पुलिसकर्मियों की मारपीट से हुई एक प्रॉपर्टी डीलर की मौत सुखियों में है। जिस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस रमना ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अगुआई में समिति बनाने की यह बात कही, उसमें छत्तीसगढ़ के एक निलंबित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गिरफ्तारी से सन्दर्भ देने की घटनाएँ दोनों थीं। दोनों विषयों

राहत दन का गुजारश लकर आए थे। इस वारष्ठ पुलिस अधिकारी पर राजद्रोह और अवैध रसूली समेत कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहने के आरोप हैं। हालांकि पुलिस अधिकारी के मुताबिक उसे पिछली सरकार से कथित तौर पर करीबी रिश्तों की सजा दी जा रही है।

इस मामले में भी पिछली सुनवाई के दौरान जस्टिस रमना ने पुलिस अधिकारियों में दिख रही इस प्रवृत्ति को रेखांकित किया था कि वे सत्तारूढ़ दल के नेताओं से करीबी तालुकात के लिए उनके अवैध आदेशों का पालन करते हुए सारी हाँद पार कर जाते हैं और फिर सत्ता बदलने पर नई सरकार का कोपभाजन बनते हैं। उन्होंने इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने की बात कही थी। निश्चित रूप से यह प्रवृत्ति किसी एक मामले या एक राज्य तक सीमित नहीं है। पुलिस अधिकारियों और सत्तारूढ़ नेताओं के निजी स्वार्थों का गठबंधन ही इस पूरे खेल के पीछे है। संभवतः इस गठबंधन को तोड़ने की जरूरत महसूस करते हुए ही जस्टिस रमना ने यह बात कही कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की अगुआई में समिति बनाने का विकल्प भी उपलब्ध है। मगर देखा जाए तो यह समस्या मूलतः कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र से जुड़ी है। थोड़ी और सटीकता से कहें तो कानून व्यवस्था राज्य सरकार का मामला है और इसलिए इसे हल करने की जिम्मेदारी भी प्राथमिक तौर पर राज्य सरकारों की ही बनती है। दिक्कत यह है कि इसे हल करने की दिशा में कारगर कदम उठाना तो दूर, ऐसी कोई इच्छा भी राज्य सरकारें नहीं दिखा रहीं। जब कोई मामला मीडिया में आकर चर्चित हो जाता है तो पीड़ित पक्ष को नौकरी और नकद सहायता वगैरह देकर मामले को ठंडा कर लिया जाता है। फिर नई घटना होने तक शांति बनी रहती है। ऐसे में मुख्य न्यायाधीश का समिति बनाने के विकल्प से अपनी सहमति जताना और ऐसा आदेश न देना काफी अर्थपूर्ण है। यह सभी संबंधित पक्षों के लिए गंभीर चेतावनी है। बेहतर होगा कि इस संदेश से सबक लेकर पुलिस महकमा और राज्यों का राजनीतिक नेतृत्व समय रहते अपना रवैया सुधार लें और न्यायपालिका को दखल देने की जरूरत न पड़े।

किसान आंदोलनः धरती माता के यहाँ रिश्वत नहीं चल सकती !

राजेश महेश्वरी

"किसान वास्तविक धन का उत्पादक है, क्योंकि वह मिट्टी को गृहांशु चावल, कपास के रूप में परिणत करता है। दो घंटे रात रहते खेतों पहुंचता है। जेठ की तपती दुपहरी हो या माघ-पूस के सबेरे की हड्डी छेद वाली सर्दी, वह हल जोतता है, ढेले फोड़ता है, उसका बदन पसीने तरबतर हो जाता है, उसके एक हाथ में सात-सात घड़े पड़ जाते हैं फिर भी वह मशक्कत करता रहता है। क्योंकि उसे मालूम है कि धरती मातर के यहां रिश्वत नहीं चल सकती। वह स्तुति प्रार्थना के द्वारा अपने दृढ़ लोगों नहीं खोल सकती। राहुल सांगृत्यापन किसान आंदोलन ने संघर्ष के नौ माह पूरे कर लिए। इसलिए यह सवाल उठना लाजमी है कि इससे क्या हासिल किया और क्या खोया? किसान आंदोलन खोने और पाने से आगे की स्थिति पर पहुंच गया है। यह भारत को पुनः लोकतंत्र की ओर मोड़नेवाला उपक्रम बन गया है। इस आंदोलन ने मूलतः दो बातों को पुरन्स्थापित किया है। पहली यह रिश्वत भारतीय संविधान का पूर्ण क्षरण नहीं हुआ है और दूसरी आधिनायकवाद लोकतंत्र को जवाब दिया जा सकता है, उसका विकल्प अभी भी मौजूद है। इस आंदोलन के प्रति सरकार/सरकारों की बेरुखी भी यह दर्शा रखती है कि शासक वर्ग किसानों की सच्ची निर्मलता से आँख मिला पाने असमर्थ है। साथ ही सरकार को अपने को सही सिद्ध करवाना कमेवोटे असंभव होता जा रहा है। इसलिए आम जनता का ध्यान लगातार बांटा जा रहा है। नवीनतम उदाहरण है कि प्रधानमंत्री का जन्मदिन 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक पूरे देश में समारोहित किया जाएगा। यह ऐसे समारोह हो रहा है, जबकि कोरोना महामारी अभी थमी नहीं है, इससे तड़का तड़का पक्कर हुई मौतों का मंजर अभी आँखों से ओङ्काल नहीं हुआ है, बेराजगांव अपने चरम पर है, अर्थव्यवस्था हाँफ रही है, अपराध दिन दूने, रात चौंगुने हो रहे हैं, मँहार्गी रोज नए रिकार्ड बना रही है, सांप्रदायिकता न कल्वर के साथ सर्वव्यापी होने को तैयार है 2 अक्टूबर को गँगी जयंती भी है, आदि - आदि। किसान आंदोलन ने पिछले नौ महीनों में यह तबला दिया कि भारत में एक बार पुनः संघर्ष की राह पर चलने की ललता पैदा हुई है। साथ ही सामूहिकता का असाधारण संकल्प भी सामाजिक आया है। 500 से ज्यादा आंदोलनकारियों की मृत्यु के बावजूद किसान आंदोलन का अहिंसक बना रहना किसी चमत्कार से कम नहीं है। हां ही मैं करनाल में हुई महापंचायत, प्रदर्शन व सचिवालय का घेराव इसका गवाही दे रहे हैं। आधुनिक समाज का बड़ा वर्ग सत्य और अहिंसा बचना चाह रहा है, यह आंदोलन उनके लिए मिसाल है। इस आंदोलन सत्ता के दंभ को भी बेनकाब किया है और स्वयं को लगातार विस्तारित किया है। किसान आंदोलन ने भारतीय मीडिया को भी आईना दिखाया है। उन्होंने मीडिया को भी यह समझा दिया है कि उनके बिना भी आंदोलन किया जा सकता है।

यह तय है कि भारत के तमाम लोग कृषि क्षेत्र व किसानी की समस्याओं के प्रति अनभिज्ञ हैं और इस तरह के आंदोलन को कमोवेश गैरजरुरी मानते हैं। इस अलगाव के पीछे बहुत से कारण हैं और सबसे बड़ा कारण यह है कि संपन्न वर्ग किसान व किसानी को समझना ही नहीं चाहता। राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है, "महीनों की भूख से अधम उसके बच्चे चाहभरी निगाह से उस राशि (अनाज) की देखते हैं। समझते हीं दुख की अंधेरी रात कट्टने वाली है और सुख का सबेरा आगाला है। उनको क्या मालूम कि वह उनके लिए नहीं है। इसके खाने वे अधिकारी सबसे पहले वे स्त्री-पुरुष हैं, जिनके हाथों में एक भी घड़ा नहीं है। चिंता के दायी प्रश्न तैयार करते ही उसके द्वारा तैयार करते ही उसके

राहुल अपने पैरों पर खुद कुर्हाड़ी मारते हैं

डॉ. हरिकृष्ण बड़ोदिय

आज के भारत में सर्वाधिक विवादित नेता कोई है तो वह राहुल गांधी ही है। हालांकि उनके बारे में सार्वजनिक रूप से कांग्रेस पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं और नेताओं ने कभी कोई बयान नहीं दिया लेकिन इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि लगातार पार्टी की गिरती हुई साख के पीछे बहुतेरे ऐसे कांग्रेसी जरूर होंगे जो राहुल गांधी को जिम्मेदार मानते होंगे। जिस कांग्रेस का कभी विस्तृत जनाधार हुआ करता था, जिसका पूरे देश पर एक छत्र राज था वह आज इतनी सिमट गई है कि उंगलियों पर गिने चुने राज्यों में सत्ता पर काबिज है। यही नहीं इसमें और कितनी गिरावट आएगी कहा नहीं जा सकता।

यूपाए के दो शासन कायकाल में जस तस वसाखा पर सरकार चलाने वाली कांग्रेस 2014 के बाद से लगातार हाशिए पर जा रही है लेकिन प्रथम परिवार को जरा भी चिंता नहीं दिखाई देती। अगर चिंता होती तो विचार मंथन होता, विचार मंथन होता तो कोई रास्ता निकाला जा सकता किंतु इसके विपरीत आज भी पार्टी में असंतोष का समाधान निकालने की जगह असंतोष को दबाने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। जी-23 के वरिष्ठ और अनुभवी सदस्यों की अगर बात करें तो स्पष्ट होता है कि ये वे लोग हैं जो चाहते हैं कि कांग्रेस अपने पुराने गौरव को प्राप्त करे। यदि कांग्रेस की छवि ठीक होगी तो नेताओं की छवि निखरेगी, किंतु हर समस्या को ठंडे बरस्ते के हवाले करना कांग्रेस हाईकमान की आदत बन गई है जिसका खमियाजा पार्टी को उठाना पड़ रहा है। चाहे राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ या पंजाब सभी जगह पार्टी में असंतोष कांग्रेस हाईकमान की तात्कालिक और अस्थाई समाधान की उपज है। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सत्ता संघर्ष किसी से छिपा नहीं है। असल में यह देखने में आया है कि कांग्रेस का प्रथम परिवार इस बात में रुचि नहीं दिखाता कि कांग्रेस में युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाना पार्टी के लिए ज्यादा फायदेमंद है। उसके पीछे का कारण प्रथम परिवार में इस बात की असुरक्षा दिखाई देती है कि कोई युवा नेता कहीं राहुल गांधी को चुनौती देने योग्य न बन जाए। राजस्थान में वर्तमान गहलोत सरकार के अस्तित्व में आने के समय ही सचिन पायलट का मुख्यमंत्री पद का दावा उचित और प्रासंगिक था। कांग्रेस को राजस्थान में जिताना मौका नहीं देने की जिम्मेदारी नहीं है।

सचिन पायलट ने जी जान लगा दी थी जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस आज सत्ता में है, लेकिन तब कांग्रेस हाईकमान ने प्रदेश की कमान गहलोत को सौंप कर असंतोष के बीज बो दिए थे और जब असंतोष सतह पर आया तो उसे दबाने के लिए कुछ बादे कर मामला शांत कर दिया गया। जब वादा खिलाफी हुई तो सचिन बगावत पर उतर आए। सचिन पायलट को फिर समझा-बुझाकर मामला रफा-दफा किया। वास्तव में सचिन ने भी अपनी शौकत को अंदाजा लगा लिया था यदि उन्हें अनुकूल परिस्थितियाँ और विधायिकों का पर्याप्त संच्चार बल का समर्थन मिल जाता तो वह आज भजप के मुख्यमंत्री होते। सच्चाई तो यह भी है कि राजस्थान में गहलोतों को पीछे से ताकत पूर्व मुख्यमंत्री वसुधरा राजे ने दी जिसकी वजह से सचिन पायलट को अपने कदम वापस लेना पड़े। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो इस राज्य में सरकार के गठन के समय मुख्यमंत्री पद के दो दावेदार थे एक भूपेश बघेल तो दूसरे टी एस सिंह देव। उस समय आलाकमान ने सिंह को यह कहा कि भूपेश बघेल ढाई साल मुख्यमंत्री रहेंगे और उसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा लेकिन जब वादे के मुताबिक परिवर्तन नहीं किया गया तो वहां भी असंतोष सतह पर आ गया। इसी तरह पंजाब में कैटन अमारिंदर सिंह को शक्तिहीन करने के लिए आलाकमान ने

नवजोत सिंह सिद्धू का जिन पैदा कर दिया। जिसके परिणामस्वरूप आखिर कैप्टन अमरिंदर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा।

कैप्टन ने खुद कहा कि वे अपमानित महसूस कर रहे हैं। कुमार मिलाकर आज की स्थिति में ना तो हाईकमान का पार्टी नेताओं पर नियंत्रण है और ना कोई स्पष्ट नीति और ना ही निष्पक्ष निनाच्य कंक्षमता। ऐसी स्थिति में असंतोष पनपने को किसी भी दशा में रोक ही नहीं जा सकता। इन हुलमुल स्थितियों का पार्टी कार्यकर्त्ता अपने पर जो नकारात्मक प्रभाव होता है उसकी प्रतिष्ठाया पार्टी में होना कहीं दिखाई देती है। पार्टी के कार्यकर्ता और समर्पित नेता थोड़ी बहुत स्थितियां संवारने की कोशिश करते हैं तब तक राहुल गांधी कोई ना कोई ऐसा बयान दे बैठते हैं कि कार्यकर्त्ता एक कदम आगे बढ़कर दो कदम पीछे से खिसकने को मजबूर होना पड़ता है। उनका उत्साह राहुल के बयानों से कुंद हो जाता है। वस्तुतः राहुल गांधी को जितनी परिपक्वता दिखानी चाहिए दिखा ही नहीं पाता। उनके बयान कभी-कभी ऐसे लगते हैं जो किसी कुंठा ग्रस्त व्यक्ति द्वारा दिए गए हों। लगता तो ऐसा है कि राहुल गांधी मंच पर जानकारी के पहले तैयारी बिल्कुल नहीं करते।

वह बिना यह सोचे कि उनके बोलने से पार्टी को क्या नुकसान हो या फायदा होगा बोलते चले जाते हैं। अति उत्साहित और प्रभावशाली वक्ता बनने के चक्कर में ऊले जलूल भाषण दे जाते हैं। 2004 राजनीतिक संकेतन में आने वाले राहुल गांधी आज 17 वर्षों बाद भी राजनीति में वक्तव्य के महत्व को समझने में असमर्थ दिखाई देते हैं। वे आज भी यह नहीं जानते कि क्या कहकर जनता को अपने पक्ष में कर सकते हैं और क्या कहने पर जनता उनसे छिट्ठा जाएगी। अभी हाल ही में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस के अवसर पर राहुल गांधी कुछ ऐसा बोल गए कि उससे उनकी किरकिरी हो गई। उनके सामान्य ज्ञान पर फिर एक बाप्रशनचिन्ह लग गया। आज की स्थिति में जब देश में राष्ट्रवादी सोच को व्यापक समर्थन मिल रहा है, जब देश की बहुत बड़ी आबादी में अपने हिंदू होने का गौरव जाग गया है, जब देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा के विचारों और सिद्धांतों में देश की बहुत बड़ी आबादी का योगीन है, तब आप यदि हिंदुत्वा और हिंदूवादी दलों को कटघरे में छड़ा करके अपने पक्ष में माहौल बनाने का सोचते हैं तो आप से ज्यादा ना समझ कोई नहीं है। सकता। कौन नहीं जानता कि भाजपा, आरएसएस और हिंदूवादी संगठनों के वैचारिक प्रसार का परिणाम ही है कि राहुल गांधी का

यौन हिंसा: कुछ शब्द

सन् 1978 में महाश्वेता देवी ने “द्रोपदी” शीर्षक से एक लघु कथा लिखी थी। पितृसत्ता से लड़ने वाली और नक्सलवादी होने के आरोप टेंट महेनजर उसकी गिरफतारी होती है। पुलिस अधिकारी अपने कुछ सिपाहियों से उसका बलात्कार करने को कहता है। बलात्कार करने के बाद सिपाही उससे पुनः कपड़े पहनने को कहते हैं। परंतु द्रोपदी कपड़े पहनने से इंकार कर देती है। और दांतों से अपने बाकी के कपड़े भी फाड़ देती है। बाल अफसर के सामने वह निःवस्त्र ही जाती है और कहती है, “मैं कपड़े क्यों पहनूँ? यहां कोई इंसान ऐसा नहीं है, जिससे मैं शर्माऊ। इस कहानी टेली लिखे जाने के भी 6 बरस पहले 26 मार्च 1972 को महाराष्ट्र के गढ़चिरोली जिले के देसाईगंज थाना परिसर में मथुरा नाम की एक आदिवासी लड़की (14 से 16 वर्ष के मध्य) के साथ दो पुलिसकमियों ने बलात्कार किया था। सेशन न्यायालय ने अभियुक्तों को बरी कर दिया था। बम्बई उच्च न्यायालय ने दोनों को सजा दी लेकिन सर्वीच्च न्यायालय ने सन् 1977 में उच्च न्यायालय के फैसले को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि मथुरा

यौन हिंसा: कुछ भी बदलता क्यों नहीं

चन्द्रमा मंशा

ने, “कोई शोर नहीं बचाया और उसके शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं थे, संघर्ष के भी कोई चिन्ह नहीं मिलते अतएव कोई बलात्कार नहीं हुआ। चूंकि वह संभोग की आदी थी, तो संभव है उसने पुलिस वालों को उकसाया हो (वे ड्यूटी के दौरान नशे में थे) कि वे उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए” (साधारण भाषा में अनुवाद) इस नियन्य के पश्चात प्रो. उपेन्द्र बक्शी सहित तमाम लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय को पत्र लिखा, देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए। नियन्य तो नहीं बदला परंतु बलात्कार संबंधी कानून में जरूर परिवर्तन हुआ। वस्तुतः स्थितियाँ बहुत नहीं बदलीं। 15 जुलाई 2004 को मणिपुर की 12 महिलाओं ने मनोरमा थंगजाम की मृत्यु व कथित बलात्कार के खिलाफ, इफाल स्थित असम राईफल्स के मुख्यालय के सामने नगन-होकर प्रदर्शन किया था। इन बारह माँ या इमा के हाथों में तख्तियाँ थीं जिन पर लिखा था “भारतीय सेना हमारा बलात्कार करो” और “भारतीय सेना हमारा माँस ले लो।” मनोरमा के गोलियों से छलनी शरीर के निजी अंगों पर गोलियों के घाव थे। परिस्थितियों में उसके बाद तब भी कोई बदलाव नहीं आया। सन् 2012 में दिल्ली में हुआ निभ्या कांड जघन्यता की सभी सीमाओं को झुठला चुका था। सारा देश विचलित हुआ। फिर नए सिरे से कानूनों पर मनन हुआ और इस कांड में शामिल चार वयस्कों को 20 मार्च 2020 को फॉसी भी दे दी गई। फॉसी की सजा का अभी स्पृति लोप भी नहीं हुआ था कि 14 सितंबर 2020 को हाथरस जिले में एक 19 वर्षीय दलित युवती के साथ बलात्कार और उसके बाद दी गई यातनाओं की वजह से उसकी करीब दो हफ्टे बाद अस्पताल में मृत्यु हो गई। यानी 200 दिनों तक भी फॉसी का कोई प्रभाव नहीं रहा। इससे भारतीय पुरुष समाज या पितृसत्तात्मक मानसिकता दो चंद्र तो ————— है।

जगन्न्यता, कृता व वीभत्सा की निरंतरता को हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी देखें ! दिल्ली के एक श्मशान घाट का पुजारी और उसके साथ एक 9 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार के दौरान आरोपी उसका मृत्यु इतनी जोर से बंद रखते हैं कि उसकी दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। हैवानियत की शायद कोई सीमा नहीं होती। इस बालिका के साथ संभवतः उसकी मृत्यु के बाद भी सामृहिक बलात्कार का दौर चलता रहा होगा। मध्यप्रदेश

के बुद्धेलखंड अंचल में सामुहिक बलात्कार की प्रक्रिया में युवती आँखों को एसिड (पुलिस के अन्सार जहरीली वनस्पति) से जला दिया जाता है। महाराष्ट्र में एक नाबांलिंग लड़की के साथ 8 महीनों में 33 लोग बलात्कार करते हैं। गवालियर में 4 साल की लड़की के साथ बलात्कार होता है। अपने एक शोध के दौरान मैं और मेरी पत्नी ऐसे 2 बच्चों से मिले जिनकी उम्र 3 वर्ष से कम थीं और उनके साथ बलात्कार हुआ था। बारह वर्ष की ऐसी बलिका से मिले जो कि यौन संबंधों की आदि हो चुकी है और उसका परिवार उसे किराये पर देता था। वैसे अब वह मृत्त है। अनगिनत मामले हैं, महिलाओं, युवतियों और बच्चियों (और अब किशोरों व लड़कों) के साथ भी यौन अपराधों के परंतु हमारा समाज इस समस्या से आँख नहीं खिला सकता।

नहा प्रभाना चाहता।
महाश्वेता जी की कहानी न तब काल्पनिक थी न अब ! इसे एक शाश्वत सच्चाई की तरह स्वीकारना होगा। मर्दी की नंगई अब सभी सीमाएं पार कर गई हैं। सामुहिक बलात्कार करते हुए उन्हें अपने नगन-चित्रण तक मैं कोई संकोच नहीं होता। क्या यह मनुष्य कहलान के काबिल भी है ? बलात्कार के वीडियो सार्वजनिक कर देने से (न) मर्दी के सम्मान को कोई ठेस नहीं पहुंचती। शायद ऐसा इसलिए कि उन्होंने नगन्ता को अपना आधुणिक और अपनी मर्दानी का सबूत समझ लिया है । गिरने की सीमा को पुरुष समाज का एक अंश तोड़ चुका है। यह नंगई शौर्य प्रदर्शन का क्या कोई नया तरीका है ? भारत के तकरीबन हर अंचल में बलात्कार व यौन प्रताड़ना देने के नए-नए वीभत्स तरीके सामने आ रहे हैं भिहालों का प्रतिकार समाज में उनके प्रति समर्थन जुटा पाने में असर्थ है। कारण ? संभवतः यही की पीडिताएं अधिकांशतः चंचित, आदिवासी या अल्पसंख्यक वर्गी से तालुक रखती हैं। ऐसा क्यों ? इस अलगाव की जड़ें बहुत पहले मजबूत की जा चुकी हैं। सीमोनंद बुआ बताती है। अरस्तु स्त्री को परिभाषित करते हुए कहते हैं, औरत कुछ गुणवत्ताओं की कमियों के कारण ही औरत बनती है। हमें स्त्री के स्वभाव से यह समझना चाहिए कि प्राकृतिक रूप से उसमें कछु कमियां

से मात्र स यह समझना चाहए कि प्राकृतिक रूप से उसमें कुछ कामया है। वह एक प्रासंगिक जीव है। वह आदम की एक अतिरिक्त हड्डी से निर्मित है। अतः मानवता का स्वरूप पुरुष है और पुरुष से संबंधित ही परिभाषित करता है। वह औरत को स्वायत्त व्यक्ति नहीं मानता। वह अपने बारे में सोच भी नहीं सकती। इसका अर्थ यह है कि वह अनिवार्यतः पुरुष के भोग की एक वस्तु है और इसके अलागा और कुछ नहीं। यानी पुरुष पूर्ण है जबकि औरत बस “अन्या”। भारतीय बलात्कारियों ने भले ही अरस्तु को न पढ़ा हो लेकिन वे इस वैशिक भेदभाव को सहस्राद्धियों से अपने मन में सहेजे हुए हैं और उसे अपना अधिकार मानते हैं। ऐसा लगा था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की निर्णायक भूमिका के चलते उनकी परिस्थिति में आमलचल परिवर्तन आयगा।

